अर्जित होती है और इसमें काफी लोगों को काम भी मिलता है। इन बातों को देखते हुए प्रशिक्षार्थियों को आर्थिक सुविधा देने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के 145 प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं। मुख्यत: यह उन्हीं इलाकों में खोले जायेंगे जहां पर कालीन उद्योग परम्परागत रूप से चालू हैं। यदि 145 स्थानों के नाम माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री दया राम शाक्य : श्रीमन्, इस उद्योग से काफी लोगों को काम मिलता है और विदेशी मुद्रा का अर्जन भी होता है तो क्या प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षार्थियों को आर्थिक सुविधा देने तथा उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सुविधा देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : अध्यक्ष महोदय, जितने लोगों को इन केन्द्रों में प्रशिक्षण के लिए लाया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण के दौरान 60 रुपये प्रति माह देने का इन्तजाम है।

SHRI VINODBHAI B. SHETH: May I know how many such training centres are in Gujarat from where *joria* wool is exported to U.K.? Is there any proposal to start a carpet industry in Gujarat, particularly in Jamnagar area?

SHRI GEORGE FERNANDES: At present, there are no training centres in Gujarat. If there are any areas in Gujarat where such centres can be set up, we shall examine.

श्री लालजी भाई : भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसा कौनसा राज्य है, जहां अधिक-से-अधिक स्थानों पर आप प्रशिक्षण केन्द्र खोलने जा रहे हैं ? कृपा कर उस राज्य का नाम बतलाइये ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : अधिक-से-अधिक केन्द्र उत्तर प्रदेश में खोले जायेंगे, जिनकी संख्या 145 है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में 130, राजस्थान में 10, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब—प्रत्येक राज्य में पांच-पांच केन्द्र। ये नये केन्द्र 1977–78 में खोले जा रहे हैं। अभी जो केन्द्र हैं—उनकी संख्या इस प्रकार है—उत्तर प्रदेश में 117, जम्मू-काश्मीर में 75, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश में चार-चार, बिहार में 1, महाराष्ट्र में 1, हिमाचल में 3, हरियाणा में 2, पंजाब में 3, सिक्किम और अरुणाचल में एक-एक।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अभी आपने जिन राज्यों का नाम लिया, उन में मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर, टीकमगढ़ आदि स्थानों पर भी कालीन-बुनाई का काम होता है। क्या मंत्री महोदय मध्य प्रदेश के इन जिलों में भी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : जिन-जिन राज्यों में इन केन्द्रों के खोलने की संभावनाएं हैं, वहां हम तत्काल खोलेंगे। हमारी तरफ से इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, जहां भी संभव होगा वहां खोलेंगे। इस काम के लिये पैसे या किसी और चीज़ की कमी नहीं होगी।

कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्रों का सर्वेक्षण

***312. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला वाले क्षेत्र अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत अर्जित क्षेत्र का, विशेषकर कर्नपुरा जोन क्षेत्र का अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया ;

(ख) क्या इस अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही पूरी किये बिना धारा 9 के अधीन कार्यवाही की जा रही है ; और,

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं के लिये कौन उत्तरदायी है ?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): (a) and (b). All acquisitions under Section 7 of the Coal Bearing Areas Act in Karnapura zone and elsewhere have been made after proper survey of the area and the legal provisions have been complied with.

(c) Does not arise.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कर्णपुरा जोन एरिया में जो भूमि अर्जित की गई है, उसको सीधा अर्जित करने की घोषणा की गई है, जब कि "कोल बियरिंग एक्ट, 1957" के अनुसार सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन सरकारी गजट में होना चाहिये था, आब्जेक्शन्स इन्वाइट की जानी चाहिये थी, लेकिन ऐसा न करके धारा 7 की भी अवहेलना की गई है, सीधे धारा 9 के अन्तर्गत उसको प्राप्त कर लिया गया है ।

धारा 4 और 7 के अनुसार ऐसी व्यवस्था भी है कि कोयला निकालने से जो जगह खाली होती है, उसमें दामोदर नदी के बेसिन से बालू निकाल कर तुरन्त भरना होता है । लेकिन इस अर्जन के बाद कान्ट्रैक्टर लोगों को दामोदर नदी के बेसिन से बालू निकाल कर भरने भी नहीं दिया जाता है । कानून से ऐसी व्यवस्था भी है कि यदि तीन वर्ष तक कोयला न निकाला जाय तो उसको फिर से नोटिफाई करना होता है। यहां 3 वर्ष से ज्यादा हो गया है, उसके बावजूद भी फिर से नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है । न उसको फिर से अर्जित किया गया है और न कान्ट्रैक्टर्स को बालू ही लेने दिया जाता हैं ताकि वे खानों को भर सकें । आप जानते हैं बालू के न भरे जाने से कभी-कभी दुर्घटनायें भी हो जाती हैं। वहां कांट्रैक्टर्स गैर-कानूनी ढंग से दामोदर नदी से बालू ले जा कर भरते हैं, जिससे वहां के आफिसर लोग नाजायज ढंग से पैसा वसूल करते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं —क्या उन दोषी अधिकारियों को भी सजा देने के लिए व्यवस्था करेगी ?

SHRI P. RAMACHANDRAN: Sir, as far as this area is concerned, all provisions under the Act have been observed. If there are any complaints about it and if they are brought to our notice, definitely severe action will be taken. But, as far as provisions of the Act are concerned, all the provisions have been complied with.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जो जवाब दिया गया है उसमें यदि इनका यह कहना है कि सभी उपबन्धों और सभी कानूनों को पूरा माना गया है, तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वे यह बतायें कि दामोदर नदी के बेसिन का जो एक्वीजीशन किया है, उसका क्या नोटीफिकेशन है, किस डेट को उसको नोटिफाई किया है, कब उसको अर्जित किया और किस कम्पीटेंट आथोरिटी ने उसकी घोषणा की थी ?

SHRI P. RAMACHANDRAN: I would like to have Notice for this.

Fast Breeder Nuclear Power Reactor

+

*313. SHRI S. R. REDDY:

SHRI MADHAVRAO SCINDIA:

Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) the cost involved in the development of Fast Breeder Nuclear Power Reactor indigenously; and

(b) when it is expected to be ready?